कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म.प्र.)

::— विविध आदेश —::

कमांक /परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 04/05/2020

मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर पत्र क्यू–5, दिनांक 25.03.2020, में कंडिका–4 एवं कंडिका–5 के पूर्व कंडिका–4.1 एवं 4.2 को मान्नीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्यू–12 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार अति आवश्यक न्यायिक कार्य एवं अन्य न्यायिक कार्य जिनमें पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है को संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र क्यू–12 दिनांक 04.05.2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. दिनांक 05.05.2020 से न्यायालयीन कार्यवाही प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे संपादित की जावेगी। कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। समस्त पीठासीन अधिकारी न्यायाधीशगण अपने अपने न्यायालयीन कक्ष में बैठकर आवश्यक न्यायिक कार्य जिसमें रिमाण्ड जमानत आवेदन की सुनवाई, सुपुर्दनामें की सुनवाई, धारा–164 के कथन, प्रोडक्सन वारण्ट जारी करना, अनुसंधान के दौरान प्रकिया संबंधी आवेदन का निराकरण, अन्य विविध आवेदन का निराकरण, सिविल मामलों में स्थगन आवेदन, ऐसे आवेदन जिनमें समयसीमा विहित की गई है, या अन्य ऐसे कार्य जो अति आवश्यक कार्य की श्रेणी में आते हैं का निराकरण करेगें।

2. न्यायाधीशगण उक्त अति आवश्यक कार्य के अतिरिक्त ऐसे लंबित आपराधिक एवं व्यवहारवाद (निराकरण हेतु नियत, आदेश हेतु नियत, अंतिम तर्क हेतु नियत, क्रिमिनल रिवीजन, सिविल अपील आदि) का निराकरण जिनमें बिना किसी मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आदेश पारित किया जाना है, का संपादन करेंगें। पीठासीन अधिकारियों द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं को इस बावत् लिखित तर्क न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने बावत् निर्देश दिये जा सकेगें।

3. न्यायाधीशगण पूर्व में जारी किये गये मान्नीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र एवं समय समय पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा जारी किये गये विविध आदेश जिनमें कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण के बचाव व रोकथाम की गाईडलाईन व निर्देश दिये गये हैं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें व अपने न्यायालय में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाया जाना, हाथों को हैण्ड वॉश या सेनेटाईजर से सफाई किया जाना पर विशेष ध्यान दिया जावेगा साथ ही न्यायाधीशगण अपने विवेक से अपने अधीनस्थ स्टॉफ को कम भी कर सकेगें।

4. न्यायालय में न्यायिक कार्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार पूर्व की भॉति संपादित होगा। किसी प्रकार संशय या अन्य समस्या की परिस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा और इस विविध आदेश में संशोधन किया जा सकेगा।

5. न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अति आवश्यक कार्य के अतिरिक्त क्रिमिनल रिवीजन, विविध सिविल अपील, एवं नियमित सिविल अपील के निराकरण पर विशेष ध्यान देगें क्योंकि जिला में बहुसंख्या में ऐसे मामले लंबित है।

6. व्यवहार न्यायाधीशगण/मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में सिविल मामलों में जिनमें अन्तवर्तीय आवेदन पत्र लंबित है या ऐसे मामले जो वाद प्रश्न, साक्ष्य तिथि निर्धारण, अंतिम तर्क हेतु नियत है, पर सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से यदि मामले में आगे तिथियों में नियत हुये है तब उन्हें शीघ्र सुनवाई में लेकर कर सकेगें। इसी तरह आपराधिक मामलों में अन्तवर्तीय आवेदन, आरोप तर्क, अभियुक्त परीक्षण, अंतिम तर्क इत्यादि कार्य करना सुनिश्चित करेगें।

7. न्यायाधीशगण उभय पक्ष अधिवक्ताओं की सहमति से ऐसे मामले जिनका वर्णन उपरोक्तानुसार किया गया है में तिथि में परिवर्तन कर उन्हें नजदीक की तिथि में नियत करने का प्रयास करेगें ताकि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

8. प्रत्येक न्यायाधीगण द्वारा प्रतिकार्य दिवस में किये गये न्यायिक कार्य का विवरण प्रत्येक शनिवार अथवा शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में शुक्रवार सायं 5 बजे तक कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगें ताकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण कर प्रोग्रेस रिपोर्ट मान्नीय उच्च न्यायालय को भेजी जा सके।

9. कार्यालय परिपत्र आदेश दिनांक 02.05.2020 के द्वारा लॉक डाउन अवधि दिनांक 04.05.2020 से 10.05.2020 तक अपर जिला न्यायाधीशगणों की नियत रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेश एवं कार्यालय परिपत्र कमांक क्यू/परिपत्र/2020 रीवा दिनांक 02.05.2020 द्वारा नियत प्रकरणों में आगामी दिनांक नियत करने संबंधी आदेश निरस्त किये जाते हैं।

10. सेनेटाईजेशन कमेटी जिला न्यायालय रीवा को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई पूर्वक सुनिश्चित करावे, सोशल डिस्टेंसिंग बावत न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर सर्कल बनवाये जाने का कार्य, न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय कक्ष, अनुभागों में प्रतिदिन सेनेटाईजेशन का कार्य भी संपादित कराया जावे।

11. नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय समय में केवल मुख्य द्वार ही खुला रहेगा जिसमें प्रवेश पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा साथ ही न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण के वाहन का प्रवेश परिसर में होगा। अधिवक्तागण व अन्य के वाहन न्यायालय के सामने सार्वजनिक मार्ग के किनारे बनी पार्किंग में खड़े किये जावेगें।

12. न्यायालय परिसर में केवल उन्हीं अधिवक्तागण को प्रवेश दिया जावेगा जिनके मामले सुनवाई में नियत है. पक्षकार, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी या अन्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, को उसी स्थिति में प्रवेश दिया जावेगा जबकि उनकी उपस्थिति न्यायालय द्वारा सुनिश्चित की गई है।

13. वीडियो कान्फ्रेंसिंग से किसी कारणवश सुनवाई न होने की दशा में न्यायाधीशगण अपने न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनवाई कर सकेगें किन्तु तत्संबंध में गाईडलाईन व निर्देशों का ध्यान रखा जावेगा।

14. कार्यालय परिपत्र आदेश दिनांक 02.05.2020 के द्वारा लॉक डाउन अवधि दिनांक 04.05.2020 से 16.05.2020 तक अपर जिला न्यायाधीशगणों की नियत रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेश एवं कार्यालय परिपत्र कमांक क्यू/परिपत्र/2020 रीवा दिनांक 02.05.2020 द्वारा नियत प्रकरणों में आगामी दिनांक नियत करने संबंधी आदेश निरस्त किये जाते हैं।

15. प्रत्येक न्यायाधीगण द्वारा प्रतिकार्य दिवस में किये गये न्यायिक कार्य का विवरण प्रत्येक शनिवार अथवा शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में शुक्रवार सायं 5 बजे तक कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगें।

16. न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी वीसी गाईड लाईन के अनुसार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा एवं न्यायालय परिसर में अभिभाषकगण/आमजन/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के कर्मचारी द्वारा कोविड–19 संकमण से बचाव के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क/सेनेटाईजेशन आदि प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रत्येक न्यायालय में प्रतिकार्य दिवस में उपलब्ध एक तिहाई अथवा एक चौथाई स्टॉफ के अतिरिक्त अन्य स्टॉफ को कार्य की आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकेगा। किसी स्टॉफ द्वारा गैर न्यायालयीन कार्य हेतु बिना पीठासीन अधिकारी के अनुमति के अपने आवास से प्रस्थान नहीं किया जायेगा।

18. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना न्यायाधीशगण सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगें इसी तरह कर्मचारीगण अपने पीठासीन अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक अवकाशों में मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।

19. आदेश की अवहेलना, न्यायिक कार्य के प्रति उदासीनता व नकरात्मकता को गंभीरता से लिया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृष्ठा. कमांक /परिपत्र/2020 — रीवा, दिनांक 04/05/2020

प्रतिलिपि, 1- माननीय रजिस्ट्रार (जनरल) महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर

1. समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योंथर/हनुमना/मनगंवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग रीवा को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालयों की कार्यवाही वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारू रूप से संपादित हो सके तत्संबंध में उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करें।
3. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय रीवा को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय एवं अनुभागों के कर्मचारियों की मुख्यालय एवं तहसील पर उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये उन्हें उपरोक्तानुसार उपस्थिति होने हेतु निर्देशों से अवगत करावें।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योंथर/हनुमना/मनगंवा।
5. जिला दण्डाधिकारी, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक,रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जेल अधीक्षक, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. लोक अभियोजन कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला अभियोजन कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4.5.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0